

अति आवश्यक

प्रेषक,

निदेशक,  
अर्थ एवं संख्या,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

1-संयुक्त निदेशक,  
बीस सूत्री कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन अधिष्ठान, उत्तराखण्ड, देहरादून।  
2-उप निदेशक (अर्थ एवं संख्या)  
कुमायूँ मण्डल, हल्द्वानी/गढवाल मण्डल-पौडी।  
3-समस्त अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तराखण्ड।

पत्रांक: 316 /स्था0(वा0स्था0अधि0-2017)/2022

दिनांक: 17 मई, 2022


विषय :

कार्मिकों का सेवा विवरण/रिक्त पदों की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के पत्र संख्या 124/XXX-2-22-30(13)2017 दिनांक 08 अप्रैल, 2022 के अनुसार विभाग में कार्यरत कार्मिकों का स्थानान्तरण नियमानुसार किया जाना है। विभाग द्वारा उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार समस्त कार्मिकों का सुगम क्षेत्र तथा दुर्गम क्षेत्र में किये गये सेवा विवरण को विभागीय वेब-साईड पर अपलोड किया गया है।

अतः इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि अपलोड किये गये विवरण में किसी प्रकार की कोई कमी अथवा आपत्ति होने पर लिखित रूप से निदेशालय को अनिवार्य रूप से एक सप्ताह के अन्तर्गत उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,  
  
(सुशील कुमार)  
निदेशक

पत्रांक: / स्था0(वा0स्था0अधिनियम-2017)/2022 दिनांकित:

प्रतिलिपि -निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) निदेशालय के समस्त अधिकारी/कर्मचारी।
- (2) वेब अधिकारी, अर्थ एवं संख्या निदेशालय, देहरादून।
- (3) सूचना पट्ट।

निदेशक,  
अर्थ एवं संख्या।

अति आवश्यक

प्रेषक,

निदेशक,  
अर्थ एवं संख्या,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

1-संयुक्त निदेशक,  
बीस सूत्री कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन अधिष्ठान, उत्तराखण्ड, देहरादून।  
2-उप निदेशक (अर्थ एवं संख्या)  
कुमायूँ मण्डल, हल्द्वानी/गढवाल मण्डल-पौड़ी।  
3-समस्त अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तराखण्ड।

पत्रांक: /स्था0(वा0स्था0अधि0-2017)/2022

दिनांक: 17 मई, 2022

विषय : कार्मिकों का सेवा विवरण/रिक्त पदों की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के पत्र संख्या 124/XXX-2-22-30(13)2017 दिनांक 08 अप्रैल, 2022 के अनुसार विभाग में कार्यरत कार्मिकों का स्थानान्तरण नियमानुसार किया जाना है। विभाग द्वारा उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार समस्त कार्मिकों का सुगम क्षेत्र तथा दुर्गम क्षेत्र में किये गये सेवा विवरण को विभागीय वेब-साईड पर अपलोड किया गया है।

अतः इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि अपलोड किये गये विवरण में किसी प्रकार की कोई कमी अथवा आपत्ति होने पर लिखित रूप से निदेशालय को अनिवार्य रूप से एक सप्ताह के अन्तर्गत उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,


ह0/-

(सुशील कुमार)  
निदेशक

पत्रांक: 316 / स्था0(वा0स्था0अधिनियम-2017)/2022 दिनांकित:

प्रतिलिपि -निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) निदेशालय के समस्त अधिकारी/कर्मचारी।
- (2) वेब अधिकारी, अर्थ एवं संख्या निदेशालय, देहरादून।
- (3) सूचना पट्ट।

  
निदेशक,  
अर्थ एवं संख्या।